

Inflation to fall post-GST, say industry lobbies

OUR BUREAU

New Delhi, July 2

Industry chambers have given a thumbs up to the Goods and Service Tax (GST), with most saying the new indirect tax regime is likely to have a positive impact on the country's economic outlook.

Applauding the move by the BJP-led government, Chandrajit Banerjee, Director General, Confederation of Indian Industry (CII) said: "The medium-term impact of GST on macroeconomic indicators is expected to be extremely positive."

"Inflation will be reduced as cascading of taxes will be eliminated. Tax revenues will go up, keeping fiscal deficit under control," Banerjee noted.

Besides, he envisioned exports to become more competitive in global markets and the foreign direct investment to surge.

Industry chamber Assocham said: "Retail prices, growing by the slowest pace in the last four years — by mere 2.18 per cent — provide an ideal platform for the implementation of GST."

DS Rawat, Secretary General, Assocham, said: "With monsoon showing a good spell in its initial phase, the lower weighted average of net tax incidence post-GST eases the price for a large number of items."

Welcoming the GST, Gopal Jiwarajka, President, PHD Chamber, said it was looking forward to rationalisation of the taxes on white goods and other consumer goods under the ambit of 28 per cent.

एसोचैम का बयान... महंगाई बढ़ने के डर से इस समय लागू हुआ जीएसटी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

नई दिल्ली. उद्योग संगठन एसोचैम ने दबे शब्दों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद महंगाई बढ़ने की आशंका जताते हुये रविवार को कहा कि नई कर व्यवस्था लागू करने के लिए इससे सही समय नहीं हो सकता जब महंगाई रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। एसोचैम ने कहा कि मई में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 2.18 प्रतिशत है जो चार साल का निचला स्तर है। यह जीएसटी लागू करने के लिए महंगाई की दृष्टि से बिल्कुल सही समय है। एसोचैम के महासचिव डी.एस. रावत ने कहा, मई में थोक



मुद्रास्फीति की दर भी 2.17 प्रतिशत रही है। आरंभिक चरण में मानसून की बारिश भी अच्छी हुई है। इससे बहुत सी वस्तुओं की कीमतों में नरमी आनी चाहिये। उपभोक्ता खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति पिछले साल मई के 7.47 प्रतिशत से घटकर इस साल मई में 1.05 प्रतिशत पर आ गयी है। एसोचैम के मुताबिक जीएसटी में आरंभ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं।

सही समय पर जीएसटी लागू : एसोचैम

नई दिल्ली, उद्योग संगठन एसोचैम ने दबे शब्दों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद महंगाई बढ़ने की आशंका जताते हुए कहा कि नई कर व्यवस्था लागू करने के लिए इससे सही समय नहीं हो सकता, जब महंगाई रिकॉर्ड निचले स्तर पर है।

एसोचैम ने कहा कि मई में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 2.18 प्रतिशत है, जो चार साल का निचला स्तर है। यह जीएसटी लागू करने के लिए महंगाई की दृष्टि से

बिल्कुल सही समय है। एसोचैम के महासचिव डी.एस. रावत ने कहा कि मई में थोक मुद्रास्फीति की दर भी 2.17 प्रतिशत रही है। आरंभिक चरण में मानसून की बारिश भी अच्छी हुई है।

इससे बहुत सी वस्तुओं की कीमतों में नरमी आनी चाहिए। उपभोक्ता खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति पिछले साल मई के 7.47 प्रतिशत से घटकर इस साल मई में 1.05 प्रतिशत पर आ गई है।

जीएसटी से कर दायरा बढ़ेगा, उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे : सीआइआइ

नई दिल्ली, 2 जुलाई (भाषा)।

जीएसटी के क्रियान्वयन से भारतीय उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और कर का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) ने यह बात कही।

सीआइआइ ने कहा कि महत्वपूर्ण कर सुधार लागू होने से उद्योग को यह भरोसा बढ़ा है कि सरकार निवेश को सुगम बनाने और व्यापार माहौल को आसान बनाने को लेकर कदम उठाना जारी रखेगी। सीआइआइ अध्यक्ष शोभना कामिनेनी ने कहा कि पासा पलटने वाले जीएसटी के क्रियान्वयन के साथ हमने आर्थिक सुधार के नए युग में कदम रखा है। यह दुनिया के लिए मिलकर किए गए सुधार का बेजोड़ उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जीएसटी व्यापार सुगमता को बढ़ाएगा और नए उद्यमों में तेजी लाएगा।

कामिनेनी ने कहा कि जीएसटी में कच्चे माल पर दिए गए कर की वापसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के साथ स्व-अनुपालन की बात कही गई है। यह कंपनियों के लिए कर अदायगी के संदर्भ में प्रोत्साहन देने वाला

कदम है। उन्होंने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से कर पर कर नहीं लगेगा जिससे मुद्रास्फीति पर लगाम लगेगी। हमें विश्वास है कि अधिकतर कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ग्राहकों को देगी ताकि महंगाई पर अंकुश लगे। उन्होंने कहा कि उद्योग जीएसटी के क्रियान्वयन को लेकर तैयार है।

उद्योग मंडल एसोचेम ने भी कहा कि पिछले चार साल में खुदरा कॉमिती में धीमी गति से वृद्धि हो रही है। ऐसे में मुद्रास्फीति के नजरिए से जीएसटी का क्रियान्वयन का समय बिल्कुल उपयुक्त है।

होटल व यात्रा क्षेत्र को कुछ दिक्कतों की आशंका : देश के होटल और यात्रा उद्योग को आशंका है कि जीएसटी के क्रियान्वयन के शुरुआती महीनों में कुछ मुद्दे पैदा होंगे। लेकिन इन उद्योगों को उम्मीद है कि उन्हें सरकार का समर्थन मिलेगा इसलिए वे इसे लेकर अधिक चिंतित नहीं हैं।

ट्रैवल सेवा कंपनियों का कहना है कि जीएसटी के अनुपालन और फाइलिंग में विभिन्न स्तरों पर जटिलताओं की वजह से इसमें अधिक समय लगेगा और ज्यादा मेहनत करनी होगी। होटल उद्योग का कहना है कि

सरकार को सिर्फ एक रात के लिए 10,000 रुपए किराए वाले कमरों को ही सबसे ऊंची 28 फीसद की कर स्लैब में रखना चाहिए।

पश्चिम भारत के होटल व रेस्तरां संघ (एचआरएडब्ल्यूआइ) के अध्यक्ष दिलीप दतवानी ने कहा कि क्रियान्वयन की प्रक्रिया के दौरान हमें कुछ मुद्दे आने की संभावना लगती है। विशेष रूप से पहले तीन महीने में। लेकिन हम इसे लेकर अधिक चिंतित नहीं हैं। सरकार इन मुद्दों को हल करने में मदद करेगी। इसी तरह की राय जताते हुए ओयो रूमस के संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश अग्रवाल ने कहा कि अनुपालन और क्रियान्वयन में कई चुनौतियां आएंगी। लेकिन समय के साथ इसमें स्पष्टता आएगी और लोग इसके आदी हो जाएंगे। इससे सभी अंशधारक सुगमता से जीएसटी का अनुपालन कर सकेंगे। थॉमस कुक इंडिया के मुख्य वित्त अधिकारी और अध्यक्ष (वाणिज्यिक, वित्त और लेखा) देवाशीष नंदी ने कहा कि इसके अनुपालन की जटिलता की वजह से कुछ चुनौतियां आएंगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर फाइलिंग की वजह से इसमें अधिक समय लगेगा और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी।